



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]  
No. 182]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 1, 2004/अग्रहायण 10, 1926  
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 1, 2004/AGRAHAYANA 10, 1926

घोत परिवहन मंत्रालय  
( भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण )  
अधिमूचना  
नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2004

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 ( 1985 का 82 ) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग पर टक्कर निवारण विनियम, 2002 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

### 2. विस्तार और लागू होना -

- (1) ये विनियम राष्ट्रीय जलमार्गों पर सभी जलयानों को लागू होंगे ।
- (2) सभी जलयान, जो राष्ट्रीय जलमार्गों में चलाए जा रहे हैं, सामान्य नाविक पद्धति और जलयान की सीमाओं द्वारा अपेक्षित पूर्वावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन विनियमों का पालन करेंगे ।

### अध्याय-1

#### परिभाषाएं

3. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985(1985 का 82) अभिप्रेत है (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम अधिकारी" से प्राधिकरण द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो विकास, प्रबंध और अनुरक्षण के लिए किसी राष्ट्रीय जलमार्ग के किसी सेक्शन का भारसाधक हो ;

(घ) "जलयान की लम्बाई और चौड़ाई" से किसी जलयान की अधिकतम लम्बाई और चौड़ाई अभिप्रेत है

- (ङ.) "यंत्र नोदित जलयान" से विद्युत, भाप या अन्य यांत्रिक विद्युत शक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः नोदित प्रत्येक वर्णन का जलयान अभिप्रेत है ;
- (च.) "चलत जलयान" से नौकायन के अधीन कोई ऐसा जलयान अभिप्रेत है परन्तु जिसमें ऐसी मशीनरी लगी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ;
- (छ.) "चालू मार्गाधीन जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो लंगर में नहीं है या जिसे तट पर बांधा या भूग्रस्त नहीं किया गया है ;
- (ज.) "मछली पकड़ने में लगा जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो जालों, लाइनों, ट्रालों या अन्य मछली पकड़ने के साधनों से, कौशल को निर्बन्धित करता है, मछली पकड़ते हैं ;
- (झ.) "जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो कुछ आपवादिक परिस्थितियों में इन नियमों की अपेक्षानुसार कौशल दिखाने में असमर्थ है और इसलिए वह किसी अन्य जलयान को मार्ग से बाहर रखने में असमर्थ है ;
- ( ) "ऐसा जलयान जो अपने कौशल दिखाने में निर्बन्धित है " से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो अपने कार्य की प्रकृति से इन नियमों की अपेक्षानुसार कौशल दिखाने में अपनी योग्यता से निर्बन्धित है और इसलिए, वह किसी अन्य जलयान को मार्ग से बाहर रखने में असमर्थ है । निम्नलिखित जलयान अपना कौशल दिखाने में योग्यता से निर्बन्धित जलयान के रूप में समझे जाएंगे ;
- (i) ऐसा जलयान जो नौवहन चिन्ह, समुद्री केबल या पाइपलाइन बिछाने, उसकी सर्विस करने या उसे उठाने में लगा है,
- (ii) ऐसा जलयान जो ड्रैजिंग, सर्वेक्षण या अंतर्जलीय संक्रियाओं में लगा है,
- (iii) ऐसा जलयान जो ऐसी कर्षण संक्रिया में लगा है, उसे अपने पथ से विचलित नहीं होने देता है
- (ट.) "जलयान" को केवल तभी "एक दूसरे जलयान के दृष्टिगत" समझा जाएगा जब जलयान दूसरे से दृश्यमान रूप से संप्रेक्षित किया जा सकता है ;
- (ठ.) "जलयान" से जलयान का ऐसा प्रत्येक वर्णन अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत लघु यान, घप्पू या पाल के अधीन जलयान, प्लवन उपस्कर और अविस्थापन क्राफ्ट भी है ;
- (ड.) "निर्बन्धित दृश्यता" से कोई ऐसी दशा जिसमें दृश्यता, कोहरे, धुंध, भारी वर्षा, तूफान या किसी अन्य वैसे ही कारणों से निर्बन्धित है, अभिप्रेत है ;
- (ढ.) "नियम" से सडक के नियम अभिप्रेत हैं,
- (ण.) उन शब्दों के, जिनका प्रयोग किया गया किंतु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम या उसके अधीन बनाने गए नियमों में हैं ।

**अध्याय 2**  
**अभिचालन और चालन नियम**  
**भाग -1**

दृश्यता की किसी दशा में जलयानों का संचालन

4. लागू होना- इस भाग के विनियम दृश्यता की किसी दशा में लागू होंगे ।
5. अवैशक- प्रत्येक जलयान हर समय विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं में दृश्य और श्रव्य द्वारा तथा सभी उपलब्ध समुचित साधनों द्वारा एक सूचित अवैशक रखेगा जिससे कि स्थिति और टक्कर के जोखिम का पूर्ण मूल्यांकन किया जा सके । जलसरणी चिन्हांकन के लिए उपयोग किये गये प्रदीप्त बिंदु का पता लगाने के लिए जलयानों में सर्चलाइटों का उपयोग करेगा ।
6. सुरक्षित गति- (1) प्रत्येक जलयान हर समय सुरक्षित गति से अग्रसर होगा जिससे कि वह टक्कर और डूबने से बचने के लिए समुचित और प्रभावी कार्रवाई कर सके और विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं में समुचित दूरी के भीतर रोका जा सके ।
- (2) सुरक्षित गति अवधारित करने में, निम्नलिखित कारक उन कारणों में से होंगे जिन पर विचार किया जाएगा -
- (क) सभी जलयानों द्वारा
  - (i) दृश्यता की स्थिति,
  - (ii) यातायात घनत्व जिसके अंतर्गत मत्स्य जलयान या अन्य जलयानों का संकेद्रण भी है ,
  - (iii) विद्यमान दशाओं में रोकने की दूरी और मुड़ने की क्षमता के प्रति विशेष निर्देश से जलयान की युक्तिचालकता,
  - (iv) नदी, वायु, तरंग और नौपरिवहन परिसंकेतों की संभाव्य स्थिति,
  - (v) दिन और रात नौपरिवहन सहायता और जलसरणी चिन्हांकन की स्थिति तथा उपलब्धता
  - (vi) जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित गति निर्बंधन,
  - (vii) उपलब्ध जल की गहराई के सापेक्ष जलयान का डुबाव,
  - (viii) रातों में पृष्ठाधार बत्ती की उपस्थिति जैसे तट बत्ती से या अपनी ही बत्तियों के पृष्ठ भाग से छितराना,
  - (ख) अतिरिक्त रूप से, संक्रियात्मक राडार सहित जलयान द्वारा
  - (i) विशेषज्ञताएं, राडार उपस्कर की दक्षता,
  - (ii) राडार द्वारा पता लगाए गए जलयानों की संख्या अवस्थिति और संचलन, और
  - (iii) दृश्यता का अधिक सही निर्धारण जो तब संभव हो सकेगा जब समीप में राडार का उपयोग जलयानों या वस्तुओं की रेंज अवधारण के लिए किया जाता है ।



7. टक्कर का जोखिम - (क) यदि टक्कर का जोखिम विद्यमान है तो उसका अवधारण करने के लिए प्रत्येक जलयान विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं के समुचित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा । और यदि कोई संदेह है तो ऐसा जोखिम विद्यमान समझा जाएगा ।

(ख) यदि टक्कर का जोखिम विद्यमान है तो उसका अवधारण करने में निम्नलिखित बातें उन बातों में होंगी जिनको ध्यान में रखा जाएगा -

- (i) ऐसे जोखिम को तब विद्यमान समझा जाएगा जब किसी पहुँचने वाले जलयान पर लगे कम्पास पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है तथा अपने जलयान से स्पष्ट दूरी घटती है,
- (ii) ऐसे जोखिम कभी-कभी तब भी विद्यमान होते हैं जब सुबोध परिवर्तन स्पष्ट हो, विशिष्टतया तब जब विशाल जलयान आ रहा हो या किसी का पीछा कर रहा हो या जब आने वाला जलयान सन्निकट रेंज में किसी जलयान का पीछा कर रहा हो, और
- (iii) ऐसे जलयान जिसमें कम्पास फिट नहीं किया गया है, यदि सापेक्ष स्थिति अपरिवर्तित रहती है ।

8. टक्कर से बचने के लिए कार्रवाई - (क) टक्कर से बचने के लिए कोई कार्रवाई यदि स्वीकार किए गए मामले की परिस्थितियाँ सकारात्मक हैं, पर्याप्त समय में और अच्छी नाविकता के संप्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए, उचित समय में कार्रवाई करेगा ।

(ख) टक्कर से बचने के लिए किसी किनारे या गति में परिवर्तन तब किया जाएगा यदि मामले की परिस्थितियाँ सुकर रूप से दृश्यमान अन्य जलयान की उपलब्धता को स्वीकार करती हैं । किनारे के लघु परिवर्तनों और/ या गति परिवर्तनों से बचना चाहिए ।

(ग) यदि पर्याप्त स्थान है तो पथ परिवर्तन ही किसी सन्निकट क्वार्टर स्थिति से बचने के लिए जति प्रभावी कार्रवाई होगी, परन्तु यह तब जब कि यह उचित समय में की गई हो, सारवान है और इसका परिणाम कोई अन्य सन्निकट क्वार्टर नहीं होता है,

(घ) किसी अन्य जलयान के साथ टक्कर से बचने के लिए की गई कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होगी जिसका परिणाम सुरक्षित दूरी पर से गुजरना होगा, कार्रवाई की प्रभाविकता की तब तक सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए जब तक कि अन्य जलयान अन्तिम रूप से गुजर न गया हो या निकल न गया हो

(ङ) टक्कर से बचने के लिए यदि आवश्यक हो या स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अधिक समय अनुज्ञात किया गया हो, तो जलयान अपनी गति कम कर देगा या अपने नौदन के साधनों को रोककर या बदलकर मार्ग पकड़ेगा ।

(9) संकीर्ण जलसरणियां - (क) संकीर्ण जल सरणी के पथ के साथ साथ अग्रसर होने वाला कोई जलयान जलसरणी के बाह्य सीमा के इतना निकट रहेगा कि जो उसके दक्षिणी पाख पर इस प्रकार हो कि वह सुरक्षित और व्यवहार्य माना जाए । 10 मीटर से कम लम्बाई का कोई जलयान या कोई चलत जलयान किसी ऐसे जलयान के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेगा जिसका चिह्नित जलसरणी के भीतर ही सुरक्षापूर्वक परिवहन किया जा सके ।

(ख) मछली पकड़ने में लगा जलयान नाव्य जलसरणी में किसी अन्य जलयान के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा ।

(ग) कोई जलयान किसी नाव्य जलसरणी को पार नहीं करेगा यदि ऐसे पार किए जाने से नाव्य जलसरणी के साथ साथ ऊपरि प्रवाह या अनुप्रवाह में अग्रसर होने वाले जलयान के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है ।

(घ) संकीर्ण जलसरणी में केवल तभी ओवरटेक किया जा सकेगा यदि ओवरटेक किए जाने वाले जलयान को सुरक्षित गुजरने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी हो, ओवरटेक करने के लिए आशयित जलयान विनियम 34(ख) में विहित समुचित संकेतों की ध्वनि बजाकर अपने आशय को उपदर्शित करेगा । ओवरटेक किया जाने वाला जलयान यदि करार में है तो विनियम 34(ख) में विहित समुचित संकेतों की ध्वनि बजाएगा और सुरक्षित गुजरने की अनुज्ञा प्राप्त करेगा । यदि संदेह है तो वह विनियम 34(ग) में विहित संकेत ध्वनि बजाएगा । यह विनियम ओवरटेक करने वाले जलयान को विनियम 13 के अधीन उसकी बाध्यता से निर्मुक्त नहीं करता है ।

(ङ) यदि कोई जलयान किसी बैंड के या संकीर्ण जलसरणी के किसी क्षेत्र के निकट है, जहां अन्य जलयानों को मध्यवर्ती बाधाओं द्वारा बाधित किया जाता है, वह विशिष्ट चेतावनी और सावधानी पूर्वक नौपरिवहन करेगा और विनियम 34(घ) में विहित समुचित संकेत ध्वनि बजाएगा; और

(च) प्रत्येक जलयान, यदि मामले की परिस्थितियां अनुज्ञात करती है संकीर्ण जलसरणी में लंगर लगाने से बचेगा ।

10. एकल लेन यातायात - जब एकल लेन यातायात प्रवृत्त हो तब जलयान लेन में केवल तभी प्रवेश करेंगे जब यातायात संकेत ऐसा करने के लिए अनुज्ञात करें । लेन में रहते समय जलयान अधिकतम अनुज्ञेय गति के साथ अग्रसरित होगा और यथासंभव शीघ्र जलसरणी को रिक्त करेगा । जलयान यातायात लेन में न तो रुकेंगे और न लंगर लगाएंगे और लंगर पर प्रतीक्षारत जलयानों के साथ टक्कर से बचने के लिए एकल लेन में प्रवेश करने या उसे छोड़ते समय सावधानी बरतेंगे ।

## भाग - 2

जलयानों का एक दूसरे के दिखाई देने पर संचालन -

11. लागू होना - इस भाग के विनियम ऐसे जलयानों को लागू होंगे जो एक दूसरे को दिखाई देते हैं।

12. चलत जलयान - (क) जहां दो चलत जलयान एक दूसरे की ओर इस प्रकार आ रहे हों जिसमें टक्कर की जोखिम अन्तर्वलित हो वहां इनमें से एक दूसरे के मार्ग से निम्नानुसार बाहर रहेगा -

(i) गैर ज्वारीय नदी में जब एक जलयान ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित हो रहा है और अन्य जलयान अनुप्रवाह की ओर अग्रसर हो रहा है तो ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित होने वाला जलयान अन्य के लिए मार्ग छोड़ देगा।

(ii) जब दोनों ही ऊपरि प्रवाह या अनुप्रवाह की ओर अग्रसरित हो रहे हों और ज्वारीय लगून में हों, तो वह जलयान जो पवनाभिमुख है, वह उस जलयान के लिए मार्ग छोड़ देगा जो अनुवात में है।

(iii) वह जलयान जो मुक्त चल रहा है, वह उस जलयान के लिए मार्ग छोड़ देगा जो क्लोज हाल्ड में है।

(iv) ऐसा जलयान जो पत्तन टैंक पर क्लोज हाल्ड में है वह ऐसे जलयान के लिए मार्ग छोड़ेगा जो दक्षिणी पाख पर क्लोज हाल्ड में है।

(ख) इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'ऊपरि प्रवाह' धारा के विरुद्ध दिशा और अनुप्रवाह धारा की दिशा समझी जाएगी। 'पवनाभिमुख' पक्ष से वह पक्ष समझा जाएगा जो उसके विरुद्ध है जिस पर मुख्य सेल या दीर्घतम फोर और आफ्ट सेल किया जाता है।

13. ओवरटेक करना - (क) इस भाग के विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य जलयान को ओवरटेक करने वाला जलयान ओवरटेक किए जा रहे जलयान को मार्ग से बाहर रखेगा,

(ख) ऐसे जलयान को ओवरटेक किए जाने वाला जलयान समझा जाएगा जब वह किसी दिशा से अन्य जलयान के साथ अपने बीच के पीछे 22.5 डिग्री से अधिक आ रहा हो अर्थात् ऐसी स्थिति में जिसके प्रति निर्देश से ऐसा जलयान से जिसे वह ओवरटेक कर रहा है, रात में ही वह केवल जलयान की स्टर्न बत्ती और टोईंग बत्ती को देखने में समर्थ होगा न कि उसकी साइड बत्तियों को।

(ग) दो जलयानों के बीच होने वाले पश्चात्कर्तव्य कोई परिवर्तन किसी ओवरटेक करने वाले जलयान को इन नियमों के अर्थान्तर्गत कोई पारगमन जलयान नहीं बनाएगा या ओवरटेक किए गए जलयान को निकासी के उसके कर्तव्य से निर्मुक्त तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अन्तिम रूप से गुजर न जाए और उसकी निकासी न हो जाए।



14. आमने सामने की स्थिति- जहाँ दो यंत्र नोदित जलयान पारस्परिक या लगभग पारस्परिक मार्गों में मिलते हैं जिसमें टक्कर का जोखिम अन्तर्वलित है, प्रत्येक अपना पथ दक्षिणी पाख पर परिवर्तित करेगा जिससे कि वह प्रत्येक पत्तन की दूसरी ओर गुजर सके ।

15. पार करने की स्थिति - जहाँ दो यंत्रनोदित जलयान एक दूसरे को पार कर रहे हों जिसमें टक्कर का जोखिम अन्तर्वलित हो, तो वह जलयान अपने दक्षिणी पाख की ओर है, दूसरा दूसरी ओर है तो वह मार्ग से बाहर रखेगा, यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें तो वह अन्य जलयान से आगे निकलकर जाने से बच सकेगा ।

16. मार्ग देने वाले जलयान द्वारा कार्रवाई - प्रत्येक जलयान जिसे इन विनियमों द्वारा किसी जलयान को मार्ग से बाहर रखने के लिए निदेश दिया जाता है यथासंभव शीघ्र अच्छी निकासी को बनाए रखने के लिए सारवान कार्रवाई करेगा ।

17. खड़े जलयान द्वारा कार्रवाई -

(क)(i) इन विनियमों में से किसी विनियम के द्वारा दो जलयानों में से एक जलयान मार्ग से बाहर रहता है, तो अन्य जलयान अपने पथ पर चलेगा और गति बनाए रखेगा,

(ii) तथापि, बाद वाला जलयान जैसे ही उसे यह प्रतीत होता है कि वह जलयान जिसे मार्ग से बाहर रखा जाना है, इन विनियमों के अनुपालन में कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वह अपने केवल घाल द्वारा टक्कर से बचने के लिए कार्रवाई करेगा ।

(ख) जब किसी कारण से ऐसा जलयान जिसे अपना पथ और गति बनाए रखना अपेक्षित है और वह पाता है कि वह इतना निकट है कि जलयान को केवल मार्ग देकर ही टक्कर से नहीं बचा जा सकता है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो टक्कर से बचने के लिए सर्वोत्तम हो ।

(ग) ऐसे कोई जलयान जो किसी अन्य जलयान के साथ टक्कर से बचने के लिए इस विनियम के उप-पैरा क (ii) के अनुसार स्थिति पार करने में कार्रवाई करता है, यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुज्ञात करें तो वह अपने स्वयं के पत्तन की ओर किसी जलयान के लिए पत्तन के पथ को नहीं बदलेगा, और

(घ) यह विनियम मार्ग देने वाले जलयान को मार्ग से बाहर रखने की बाध्यता से निर्मुक्त नहीं करता है ।

18. जलयानों का (के बीच) उत्तरदायित्व- सिवाय उसके जहाँ विनियम 9 और विनियम 13 में अन्यथा अपेक्षित हो, -

(क) मार्गाधीन यंत्रनोदित जलयान निम्नलिखित के लिए मार्ग छोड़ेगा -

(i) कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,

(ii) कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है,

(iii) जलयान जो मछली पकड़ने में लगा है,

- (iv) कोई चलत जलयान, चप्पू या देशी नाव के अधीन जलयान, और
- (v) यदि विद्यमान परिस्थितियों अनुज्ञात करें ऊपरि प्रवाह की ओर अग्रसरित जलयान द्वारा अनुप्रवाह की ओर अग्रसरित करने वाला कोई जलयान ।
- (ख) मार्गाधीन कोई चलत जलयान निम्नलिखित को मार्ग देगा -
- (i) कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,
- (ii) कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है,
- (iii) ऐसा जलयान जो मछली पकड़ने में लगा है,
- (ग) मछली पकड़ने में लगा जलयान जब वह मार्गाधीन हो तब निम्नलिखित को मार्ग से बाहर रखेगा -
- (i) कोई ऐसा जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है,
- (ii) कोई ऐसा जलयान जिसे उसके चलाने की योग्यता से निर्बन्धित किया गया है ।

### भाग-III

#### निर्बन्धित दृश्यता में जलयानों का संचालन

#### 19. लागू होना

- (क) यह विनियम ऐसे जलयानों को लागू होता है जिनका किसी निर्बन्धित दृश्यता क्षेत्र में या उसके निकट आगने सामने नौपरिवहन किया जा रहा हो ;
- (ख) प्रत्येक जलयान जब उसका नौपरिवहन निर्बन्धित दृश्यता क्षेत्र में किया जा रहा हो, विनियम 34 के अनुसार समुचित ध्वनि संकेत देगा और बतियाँ प्रदर्शित करेगा,
- (ग) प्रत्येक जलयान विद्यमान परिस्थितियों और निर्बन्धित दृश्यता की शर्तों के अनुकूल सुरक्षित गति से अग्रसरित होगा । कोई यंत्र नौदित जलयान तुरंत चलने के लिए अपना इंजन तैयार रखेगा ।
- (घ) प्रत्येक जलयान, इस भाग के विनियम का अनुपालन करते समय विद्यमान परिस्थितियों और निर्बन्धित दृश्यता की शर्तों को सम्यक् ध्यान में रखेगा ।
- (ङ) उसके सिवाय जहाँ यह अवधारित किया गया है कि टक्कर का जोखिम विद्यमान नहीं है, प्रत्येक जलयान जो अपने बीम पर स्पष्ट रूप से अग्रसर होते हुए दूसरे जलयान का कोहरा संकेत सुनता है या जो अपने बीम पर अग्रसर होते हुए किसी जलयान से टकराने की स्थिति से बच नहीं सकता, अपनी गति कम कर देगा और यदि आवश्यक हो तो वह मार्ग से अलग खड़ा हो जाएगा और किसी भी क्षण टक्कर का खतरा समाप्त होने तक अत्यधिक सावधानी से नौपरिवहन करेगा ।



## अध्याय 3

## बत्तियाँ और आकार-

20. लागू होना -

- (क) इस अध्याय के विनियमों का सभी मौसमों में पालन किया जाएगा ।
- (ख) बत्तियों से संबंधित विनियमों का सूर्यास्त से सूर्योदय तक अनुपालन किया जाएगा और ऐसे समयों के दौरान कोई अन्य बत्तियाँ प्रदर्शित नहीं की जाएंगी, ऐसी बत्तियों के सिवाय जिन्हें इन नियमों में विनिर्दिष्ट बत्तियों के लिए भ्रमित नहीं किया जा सकता या जो उनकी दृश्यता या सुभिन्न विशेषता को क्षीण नहीं कर सकती हैं या जो समुचित अवेक्षण को बनाए रखने में हस्तक्षेप करती हैं ।
- (ग) इन विनियमों द्वारा विहित बत्तियाँ भी, यदि लगाई जाती हैं, निर्बन्धित दृश्यता में सूर्योदय से सूर्यास्त तक संप्रदर्शित की जाएंगी और जब इसे आवश्यक समझा जाए, यह अन्य परिस्थितियों में संप्रदर्शित की जा सकेंगी ।
- (घ) आकारों से संबंधित विनियमों का दिन में ही अनुपालन किया जाएगा ।
- (ङ) इन नियमों में जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, बत्तियाँ और आकार समुद्र पर टक्कर निवारण अन्तर्राष्ट्रीय विनियम (1972) के उपाबंध 1 के उपबंधों के अनुसार अवस्थापन और तकनीकी ब्यौरों का अनुपालन करेंगे ।

21. परिभाषाएं -

(क) "मस्तूल शीर्ष बत्ती" से जलयान के केंद्र बिन्दु के अग्रभाग और पिछले भाग पर लगाई गई सफेद बत्ती अभिप्रेत है जो 225 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है और ये इस प्रकार लगाई गई हो ताकि जलयान के किसी भी ओर बीम के पीछे 22.5 डिग्री तक दाएं अग्र भाग से प्रकाश दर्शित हो सके । यह बत्ती यथासाध्य पेटा के ऊपर 20 मीटर या अधिक लम्बाई वाले जलयान के लिए 3 मीटर से कम ऊँचाई नहीं होगी और 20 मीटर से कम लम्बाई वाले जलयानों के लिए 2 मीटर होगी ।

(ख) "साइड लाइट" से दक्षिणी पाख की साइड पर कोई हरी बत्ती और पत्तन साइड पर कोई लाल बत्ती अभिप्रेत है जो प्रत्येक 112.5 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है और जिसे इस प्रकार लगाया जाए कि वह अपनी संबंधित साइड पर बीम के पीछे 22.5 डिग्री के दाएं अग्र भाग से प्रकाश दर्शित कर सके, 20 मीटर से कम की लंबाई वाले जलयान में साइड की बत्तियाँ जलयान के केंद्र बिन्दु के आगे और पीछे के भाग पर लगे लालटेन से संयुक्त हो सकेंगी । साइड की बत्तियाँ मस्तूल शीर्ष बत्ती से 1 मीटर से अन्वून से नीचे लगाई जाएगी ।

(ग) "पिच्छल बत्ती" से 135 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप के ऊपर पीछे दर्शित करने के लिए यथासाध्य निकटतम रूप से लगाई गई कोई सफेद बत्ती अभिप्रेत है और जिसे इस प्रकार लगाया गया हो जिससे कि जलयान के प्रत्येक साइड पर पिच्छल बत्ती से 67.5 डिग्री का प्रकाश दर्शित हो सके ।

- (घ) "अनुकर्षण बत्ती" से कोई ऐसी पीली बत्ती अभिप्रेत है जिसकी विशेषताएं वही हैं जो इस विनियम के पैरा (ग) में परिभाषित "पिच्छल बत्ती" की हैं ।
- (ङ) "इर्द गिर्द बत्ती" से ऐसी बत्ती अभिप्रेत है जो 360 डिग्री के क्षितिज के किसी चाप पर निरंतर प्रकाश दर्शित करती है ।
- (च) "कौंध बत्ती" से नियमित अंतरालों की कौंध की कोई बत्ती अभिप्रेत है ।

22. बत्तियों की दृश्यता - इन विनियमों में विहित बत्तियां निम्नलिखित न्यूनतम रैंजो पर दृश्यमान होगी -

(क) लंबाई में 20 मीटर या अधिक का कोई जलयान, मस्तूल शीर्ष बत्ती, 3 मील, साइड बत्ती 2 मील, पिच्छल बत्ती 2 मील, अनुकर्षण बत्ती 1 मील,

(ख) लंबाई में 20 मीटर या अधिक का कोई जलयान, मस्तूल शीर्ष बत्ती, 2 मील, साइड बत्ती 1 मील, पिच्छल बत्ती 2 मील अनुकर्षण बत्ती 1 मील, सफेद, लाल, हरी या पीली घतुर्दिकी बत्ती 1 मील ।

जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां -

23. मार्गाधीन यंत्रनोदित जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां -

(क) मार्गाधीन कोई यंत्रनोदित जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा -

- (i) कोई मस्तूल शीर्ष बत्ती अग्र
- (ii) साइड बत्तियां
- (iii) पिच्छल बत्ती ।

(ख) 10 मीटर से कम की लंबाई का यंत्रनोदित जलयान पैरा (क) में विहित बत्तियों के स्थान पर घतुर्दिकी सफेद बत्ती प्रदर्शित कर सकेगा और यदि साध्य हो साइड लाइटें या संयुक्त लालटेन भी प्रदर्शित कर सकेगा ।

24. अनुकर्षण और धकेलने वाले जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां - (क) कोई यंत्रनोदित जलयान जब वह अनुकर्षण कर रहा हो या धकेल रहा हो -

(i) जब अनुकर्षण की लंबाई 200 मीटर से अधिक है, तो लंबवत रेखा में अग्रभाग में दो मस्तूल शीर्ष बत्तियां प्रदर्शित करेगा । लंबवत रेखा में ऐसी 3 बत्तियां प्रदर्शित करेगा । ये बत्तियां विनियम 23(क) में विहित बत्तियों के स्थान पर होगी । बत्तियां 1 मीटर से अन्यून की दूरी पर अलग अलग लगाई जाएंगी और पोतखोल के ऊपर सबसे नीचे लगाई गई बत्ती की उंचाई दो मीटर से कम नहीं होगी ।



- (ii) साइड लाइटें ।
- (iii) पिच्छल बत्ती ।
- (iv) पिच्छल बत्ती के ऊपर लंबवत रेखा में कोई अनुकर्षण बत्ती

(ख) जब धकेलने वाला जलयान और आगे की ओर धकेले जाने वाला जलयान किसी संयुक्त यूनिट में संयोजित हैं, तो उन्हें यंत्रनोदित जलयान के रूप में समझा जाएगा और विनियम 23 में विहित बत्तियां प्रदर्शित की जाएगी ।

(ग) ऐसा कोई जलयान या वस्तु जो अनुकर्षित की जा रही है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा -

- (i) साइड लाइटें ।
- (ii) पिच्छल बत्ती ।

परंतु किसी समूह में अनुकर्षित किए जा रहे या धकेले जा रहे जलयानों की कोई संख्या एक ही जलयान के रूप में प्रकाशित की जाएगी ।

(घ) आगे धकेले जाने वाले कोई जलयान को जो संयुक्त यूनिट का भाग नहीं है, वह अग्र सिरें पर साइड बत्तियां प्रदर्शित करेगा ।

(ङ) किसी एक अनुकर्षित किए जा रहे जलयान पर पिच्छल बत्ती, अग्रभाग में सिरें की साइड बत्तियां प्रदर्शित की जाएगी ।

(च) जहां किसी पर्याप्त कारण से, अनुकर्षित किए जा रहे जलयान या किसी वस्तु के लिए यह असाध्य है कि इस विनियम में विहित बत्तियां प्रदर्शित की जाएं, वहां जलयान या वस्तु पर बत्तियां लगाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे जिससे कि कम से कम बिना बत्ती वाले जलयान या वस्तु की विद्यमानता उपदर्शित हो सके ।

25. चलत जलयान और चप्पू के अधीन जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां -

- (क) चलत जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा -
- (i) साइड बत्तियां
- (ii) पिच्छल बत्ती

(ख) 20 मीटर से कम की लंबाई के चलत जलयान में पैरा (क) में विहित बत्तियां एक लालटेन में संयुक्त होंगी और मस्तूल पर या उसके सिरें के निकट जहां से इन्हें देखा जा सके, लगाई जाएंगी ।

(ग) मार्गाधीन कोई चलत जलयान इस विनियम के पैरा (क) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त मस्तूल पर उसके सिरें के निकट बत्तियां प्रदर्शित करेगा जहां वे किसी लंबवत रेखा में दो चतुर्दिकी बत्तियों के रूप में अच्छी तरह देखी जा सकेंगी, ऊपर लाल और नीचे हरी होगी ।



(घ) 10मीटर से कम की लंबाई के किसी चलत जलयान में चप्पू के अधीन जलयान में इस विनियम में विहित बतियां प्रदर्शित की जा सकेंगी किंतु यदि वे ऐसा नहीं करता है तो उसके पास विद्युत टार्च या प्रज्वलित लालटेन तत्काल उपलब्ध होगी जिसमें सफेद प्रकाश प्रज्वलित होगा जो टक्कर के निवारण के पर्याप्त समय पूर्व प्रदर्शित होगा ।

26. मछली पकड़ने में लगे जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बतियां - (क) मछली पकड़ने में लगे जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेंगे -

- (i) लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी बतियां जिनमें से ऊपर की लाल और नीचे की सफेद होगी और दिन के दौरान दो शंकुओं वाले आकार के सिरे उसी लंबवत रेखा या बास्केट के बने होंगे ।
- (ii) जब जलमार्ग से गुजर रहे हों,
- (iii) में विहित बतियों के अतिरिक्त साइड लाइट और पिच्छल बतियां,

(ख) 10 मीटर से कम की लंबाई का कोई जलयान, चप्पुओं के अधीन कोई जलयान, कोई लालटेन प्रदर्शित कर सकेंगे और तत्काल उपलब्ध कोई विद्युत टार्च होगी जो टक्कर को रोकने के लिए पर्याप्त समय में प्रदर्शित की जाएगी ।

27. ऐसे जलयानों, जो कमांड के अधीन नहीं है, या युद्धाभ्यास में उनकी योग्यता निर्बन्धित है, द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बतियां -

- (क) ऐसा कोई जलयान जो कमांड के अधीन नहीं है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा,
  - (i) लंबवत रेखा में दो चतुर्दिकी लाल बतियां जहां वे निरंतर रात्रि के दौरान अच्छी तरह देखी जा सकती हैं,
  - (ii) दिन के दौरान किसी लंबवत रेखा में दो बाल्स या वैसे ही आकार में,
  - (iii) जब जलमार्ग से गुजरना हो तो (i) में विहित बतियों के अतिरिक्त साइडों की पिच्छल बतियां,

(ख) ऐसा जलयान जिसे युद्धाभ्यास की योग्यता में निर्बन्धित किया गया है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा,

- (i) लम्बवत रेखा में तीन चतुर्दिकी बतियां, इनमें से उच्चतम और निम्नतम लाल होगी और मध्यम बत्ती सफेद होगी,
- (ii) लम्बवत रेखा में 3 आकार, उच्चतम और निम्नतम आकार बाल्स होंगे और मध्यम समचतुर्भुज,
- (iii) जब जलमार्ग से गुजरना हो तो (i) में विहित बतियों के अतिरिक्त साइडों की पिच्छल बतियां,
- (iv) जब लंगर लगा हो, लंगर लगाए गए जलयानों के लिए ऊपर (i) और (ii) में विहित बतियों के अतिरिक्त विनियम 30 में विहित बतियां और आकार भी प्रदर्शित किए जाएंगे ।

28. निकर्षण में लगे जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बतियां - निकर्षण में लगा जलयान 27(ख)में बतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा - उस दिशा को उपदर्शित करने के लिए जिस पर बाधा विद्यमान है, लम्बवत रेखा में दो निरंतर लाल बतियां या दो बाल ।

29. पाइलट जलयान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां - वह जलयान जो पाइलेट ड्यूटी पर लगाया गया है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा -

- (i) मस्तूल शीर्ष पर या उसके निकट लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी बत्तियां ऊपर की बत्ती सफेद और नीचे की बत्ती लाल,
- (ii) जब मार्गाधीन हो, अतिरिक्त साइड और पिच्छल बत्तियां ।

30. लंगर लगाए गए जलयानों और भूग्रस्त जलयानों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां - (क) लंगर लगाए गए जलयानों पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जाएगा -

- (i) अग्र भाग में, दिन के दौरान चतुर्दिकी सफेद बत्ती या लाल,
- (ii) पिच्छल और निम्न स्तर पर या उसके निकट चतुर्दिकी कोई सफेद बत्ती,

(ख) 20 मीटर से कम की लंबाई का जलयान एक चतुर्दिकी सफेद बत्ती प्रदर्शित कर सकेगा जो अच्छी तरह दिखाई दे,

(ग) कोई भूग्रस्त जलयान पैरा (क) या (ख) में विहित बत्तियों के अतिरिक्त बत्तियां प्रदर्शित करेगा जो अच्छी तरह दिखाई दे -

- (i) लम्बवत रेखा में दो चतुर्दिकी लाल बत्तियां,
- (ii) दिन के दौरान लम्बवत रेखा में तीन बाल,

(घ) 10 मीटर से कम लंबाई के जलयान में एक विद्युत टार्च या प्रदीप्त लालटेन तुरंत उपलब्ध रखी जाएगी जो सफेद प्रकाश दर्शित करेगी जो अनुगमन करने वाले जलयान को पर्याप्त समय में चेतावनी देने के लिए प्रदर्शित की जाएगी ।

31. जलपत्रक और यांत्रिक देशी यान द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली बत्तियां - जहां किसी यांत्रिक देशी यान या जलपत्रक यान को विनियमों में विहित लक्षणों या स्थितियों में की बत्तियों और आकारों को प्रदर्शित करना असाध्य हो वहां वह यथासंभव ऐसी बत्तियां और आकार जो लक्षणों में और अवस्थिति में पूर्णतः समान हों, प्रदर्शित करेगा ।

## अध्याय 4

## ध्वनि और प्रकाश संकेत

32. परिभाषाएं (क) "सीटी" शब्द से कोई ध्वनि द्वारा संकेत देने वाला साधित्र अभिप्रेत है जो विहित तूर्यनाद उत्पन्न करने में समर्थ हो,

- (ख) "लघु तूर्यनाद" शब्द से ऐसा कोई तूर्यनाद जो लगभग एक सेकंड की अवधि का हो,  
 (ग) "दीर्घावधि तूर्यनाद" शब्द से लगभग चार से छह सेकंड की अवधि का तूर्यनाद अभिप्रेत है,  
 (घ) जब तक कि विनियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ध्वनि संकेत साधित्र समुद्र में टक्कर निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियम, 1972 के उपाबंध 3 के उपबंधों के अनुसार तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

33. संकेत ध्वनि के लिए उपस्कर - 20 मीटर या अधिक लंबाई वाले जलयान पर एक सीटी और एक घंटी की व्यवस्था की जाएगी और 100 मीटर या अधिक की लंबाई वाले किसी जलयान पर इनके अतिरिक्त एक घड़ियाल की व्यवस्था की जाएगी। 34. युद्धाभ्यास और चेतावनी संकेत - (क) एकल जलयान, जब जलयान एक दूसरे को दिखाई देने की स्थिति में हो, मार्गाधीन कोई यंत्रनोदित जलयान, जब प्राधिकृत या इन नियमों द्वारा अपेक्षित युद्धाभ्यास कर रहा है, वह अपनी सीटी पर निम्नलिखित संकेतों द्वारा अपना आशय उपदर्शित करेगा।

- (i) एक लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं दक्षिणी पाख की ओर अपना पथ बदल रहा हूँ।"  
 (ii) दो लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं पत्तन की ओर अपना पथ बदल रहा हूँ।"  
 (iii) तीन लघु तूर्यनाद का अर्थ है "मैं पिच्छल प्रणोदन प्रचालित कर रहा हूँ।"

(ख) ओवरटेकिंग जलयान -

- (i) एक लघु तूर्यनाद के पश्चात् होने वाले दो दीर्घावधि तूर्यनाद से "मेरा आपको दक्षिण पाख पर ओवरटेक करने का आशय है",  
 (ii) दो लघु तूर्यनाद के पश्चात् होने वाले दो तूर्यनाद से "मेरा आपको पत्तन की ओर ओवरटेक करने का आशय है",

वह जलयान जिसको ओवरटेक किया जा रहा है, अपनी सीटी पर एक दीर्घावधि, एक लघु अवधि, एक दीर्घावधि, एक लघु तूर्यनाद इस क्रम में संकेतों का अनुसरण करते हुए अपनी सहमति उपदर्शित करेगा, यदि संदेह है तो वह पैरा (ग) में विहित संकेत तक ध्वनि बजाएगा।

(ग) जब संदेह हो, जहां एक दूसरे को दिखाई पड़ने वाला जलयान एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और किसी कारण से कोई भी जलयान दूसरे के आशय या कार्रवाई को समझने में असफल रहता है या यह संदेह है कि दूसरे द्वारा टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है या नहीं, संदेह वाले जलयान का तुरंत सीटी पर कम से कम 5 लघु और त्वरित तूर्यनाद करके ऐसा संदेह उपदर्शित करेगा। संकेत की कम से कम 5 लघु और त्वरित कौंधने वाले प्रकाश बतियों से अनुपूर्ति की जा सकेगी।



(घ) मोड़ पर - कोई जलयान मोड़ के निकट है या जलसरणी के क्षेत्र में है, जहाँ अन्य जलयान दुर्बोध हो जाते हैं वहाँ एक दीर्घावधि तूर्यनाद की ध्वनि होगी, ऐसे संकेत का किसी पीछा करने वाले जलयान द्वारा लघु तूर्यनाद द्वारा किया जाएगा ।

35. निर्बन्धित दृश्यता में ध्वनि संकेत - निर्बन्धित दृश्यता में या उनके निकट क्षेत्र में जहाँ दिन या रात्रि के लिए इस विनियम में संकेत विहित किया गया है, उनका निम्नानुसार उपयोग किया जाएगा -

(क) जल से गुजरने वाला कोई यंत्रनोदित जलयान दो मिनट से अनधिक के अंतराल पर एक दीर्घावधि तूर्यनाद की ध्वनि करेगा,

(ख) कोई यंत्रनोदित जलयान जो मार्गाधीन है किंतु रोक दिया गया है और जल से नहीं गुजर रहा है, वह दो मिनट के अंतराल पर ध्वनि करेगा । उनके बीच में 2 सेकंड से अंतराल पर उत्तरवर्ती दो लघु तूर्यनाद,

(ग) ऐसा कोई जलयान जो कमान के अधीन नहीं है, कोई जलयान जिसे युद्धाम्यास योग्यता से निर्बन्धित किया गया है, ऐसा जलयान जो दबाव से ग्रसित है, ऐसा जलयान जो कर्षण में लगा है, मत्स्य या एक दूसरे को धकेलने वाले जलयान दो मिनट से अनधिक के अंतराल पर तीनों उत्तरवर्ती तूर्यनाद अर्थात् दो लघु तूर्यनादों द्वारा अंतरित और एक दीर्घावधि तूर्यनाद करेंगे ।

(घ) लंगर का कोई जलयान एक मिनट से अनधिक के अंतराल पर लगभग 5 सेकंड के लिए तीव्रता से घंटी बजाएंगे । लंगर का कोई जलयान इसके अतिरिक्त तीन उत्तरवर्ती तूर्यनाद अर्थात् एक लघु, एक दीर्घावधि और एक लघु तूर्यनाद अपनी स्थिति और किसी पीछा करने वाले जलयान को टक्कर की संभाव्यता के संबंध में चेतावनी देने के लिए करेगा । भूयस्त कोई जलयान त्वरित घंटी बजाने के तुरंत पूर्व और पश्चात् घंटी पर तीन पृथक और सुभिन्न प्रहार करेंगे ।

(ङ) 10 मीटर से कम लंबाई वाले किसी जलयान को ऊपर वर्णित संकेत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किंतु दो मिनट से अनधिक के अंतरालों पर कुछ अन्य प्रभावी संकेत बजाएगा ।

36. विपत्ति संकेत - जब कोई जलयान विपत्ति में है और किसी अन्य जलयान से या तट से सहायता की अपेक्षा करता है, तो उसके द्वारा साथ साथ या पृथक रूप से निम्नलिखित संकेत उपयोग में लाए जाएंगे या संप्रदर्शित किए जाएंगे -

(क) किसी ध्वनि संकेत साधित्र की निरंतर ध्वनि बजाना,

(ख) ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्वज या प्रकाश को किसी सर्किल में हिलाना,

(ग) डेक पर प्रदीप्ति,

(घ) रेडियो टेलीफोनी द्वारा पारंप्रित, "मई दिवस",

(ङ) जलयान पर फहराए गए सिगनल एन०सी० का अंतर्राष्ट्रीय संकेत ।

**अध्याय 5 छूट**

37. कोई जलयान या (जलयानों का वर्ग ) में यह उपबंध है कि वह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की अपेक्षाओं का पालन करेगा, जिसका नौतल इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व सन्निर्माण के समरूपी प्रक्रम पर है, निम्नलिखित उपबंधों से इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष तक अनुपालन से छूट दी जा सकेगी -

- (क) विनियम 20 (ड.) में यथाविहित रंग विनिर्देश और सघनता सहित बतियों का प्रतिष्ठापन,
- (ख) विनियम 21 के विहित किए जाने के परिणामस्वरूप जलयान पर मस्तूल शीर्ष बतियां और साइड की बतियां पुनः लगाना,
- (ग) विनियम 22 में विहित रेंजों सहित बतियों का प्रतिष्ठापन ।

**38. छूट-**

जलयानों या जलयानों के वर्ग में छूट में यह उपबंध है कि वह ( अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, उसका नौतल जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व सन्निर्माण के समरूप प्रक्रम पर है, जीवन रक्षक नावों के अभिवहन के लिए उपबंध का अनुपालन इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष तक छूट दे सकेगी परंतु यह कि इसके बदले पर्याप्त जीवन रक्षक बेड़े फलक पर उपलब्ध करा दिए जाएं ।

(क) मत्स्य नावें ;

(ख) स्थोरा जलयान

**अध्याय 6****निलम्बन, रदकरण और अपील**

39. सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन को निलम्बित और रद करने की शक्ति -

(1) सक्षम अधिकारी को तुरत जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन को प्रथम बार इसमें वर्णित विनियमों में से किसी के उल्लंघन की दशा में पंद्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए निलम्बित करने का अधिकार होगा ।

(2) बार बार उल्लंघन की दशा में सक्षम अधिकारी जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन को तुरंत रद करने की शक्ति रखता है ।

## 40. अपील -

(1) विनियम 3 के अधीन जारी सक्षम अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको वह ऐसा आदेश प्राप्त करता है, दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध इस प्रकार अभिहित अधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(2) इस प्रकार अभिहित अधिकारी ऐसे प्रत्येक अपील का नोटिस सक्षम अधिकारी को ऐसी रीति में दिलवाएगा जो विहित की जाए और सक्षम अधिकारी को एक अवसर दिए जाने और अपीलार्थी को सुने जाने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

## अध्याय 7

## शास्तियां और विधिक कार्यवाहियां

41. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़क के विनियमों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति- यदि कोई व्यक्ति इसमें इसके पूर्व यथावर्णित सड़क के विनियमों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

42. अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917(1917 का 1) के उपबंधों का लागू होना - ऊपर वर्णित किसी बात के होते हुए भी, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917(1917 का 1) के अध्याय 7 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित राष्ट्रीय जलमार्ग पर जल यात्रा करने के लिए यंत्रनोदित जलयानों को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अंतर्देशीय जल में यंत्रनोदित जलयानों को लागू होते हैं ।

एस. एस. पौड्यन, सचिव

[वित्तपत्र III/TV/306/04-असम.]



**MINISTRY OF SHIPPING****(Inland Waterways Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2004

In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Inland Waterways Authority of India, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations for prevention of collision on national waterways, as under, namely:—

- 1. Short title and commencement-** (1) These regulations may be called the Prevention of Collision on National Waterways Regulations, 2002.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Scope and application:-** (1) These regulations shall apply to all vessels on the National Waterways.  
(2) All vessels plying in the National Waterway shall be adhere to these rules having regard to precautions required by the ordinary practice of Seamen and limitations of the vessel.

**CHAPTER – I****DEFINITIONS**

- 3. In these regulations, unless the context otherwise requires -**
  - (a) "Act" means the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985);
  - (b) "Authority" means Inland Waterways Authority of India constituted under section 3 of the Act;
  - (c) "Competent Officer" means an officer appointed as such by the Authority to be in charge of a section of the National Waterways for the development, management and maintenance.

- (d) "Length and breadth of a vessel" means maximum length and breadth of a vessel;
- (e) "Mechanically propelled vessel" means every description of vessel propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power;
- (f) "Sailing vessel" means any vessel under sail provided that propelling machinery if fitted, is not being used;
- (g) "Underway" means a vessel is not at anchor or made fast to the shore or aground;
- (h) "Vessel engaged in fishing" means any vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing apparatus which restrict maneuverability;
- (i) "Vessel not under command" means a vessel, which through some exceptional circumstances is unable to manoeuvre as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel;
- (j) "Vessel restricted in her ability to manoeuvre" means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The following vessels shall be regarded as vessels restricted in their ability to manoeuvre:
  - (i) A vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline;
  - (ii) A vessel engaged in dredging, surveying or under water operations;
  - (iii) A vessel engaged in towing operation which renders her unable to deviate from her course;
- (k) Vessels shall be deemed to be "in sight of one another" only when one can be observed visually from the other;
- (l) "Vessel" means every description of water craft, including small craft vessel under oars or sail, floating equipment and non-displacement craft.
- (m) "Restricted visibility" means any condition in which visibility is restricted by fog, mist heavy rainstorms, sandstorms or any other similar causes.
- (n) "Rules" means rules of the road.

- (o) Words used but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

## **CHAPTER - II**

### **STEERING AND SAILING RULES**

#### **PART - I**

Conduct of vessels in any condition of visibility

4. **Application** - Regulations in this Part apply in any condition of visibility.
5. **Look-Out** - Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision. Vessels shall make use of searchlights to locate luminous marks used for channel marking.
6. **Safe speed** - (1) Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and grounding, and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
- (2) In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account.
- (a) By all vessels
- (i) The state of visibility;
  - (ii) The traffic density including concentrations of fishing vessel or other vessels;
  - (iii) The manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions;
  - (iv) The state of the river, wind, current and the proximity of navigational hazards;
  - (v) State and availability of shore navigational aids and channel marking by day and night;
  - (vi) Speed restrictions imposed by the waterway authority;
  - (vii) The draught of the vessel in relation to available depth of water; and
  - (viii) At nights, the presence of background light such as from the shore lights or from the back scatter of her own lights.
- (b) Additionally, by vessels with operational radar:
- (i) The characteristics, efficiency of the radar equipment;



- (ii) The number, location and movement of vessels detected by radar; and
- (iii) The more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or objects in the vicinity.

7. **Risk of collision** - (a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstance and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist.

(b) In determining if risk of collision exists the following consideration shall be among those taken into account -

- (i) Such risk shall be deemed to exist if a compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change and apparent distance from own vessel decreases;
- (ii) Such risk may some times exist even when an appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at close range; and
- (iii) For vessel not fitted with a compass, if the relative position remains unchanged.

8. **Action to avoid collision**:- (a) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship.

(b) Any alteration of course or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit be large enough to be readily apparent to another vessel. A succession of small alterations of course and / or speed should be avoided.

(c) If there is sufficient room, alteration of course alone may be the most effective action to avoid a close quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close quarters situation.

(d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance the effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally passed and clear.

(e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take the way off by stopping or reversing her means of propulsion.

9. **Narrow channels** - (a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel shall keep as near to the outer limit of the channel which lies on her starboard side as is safe and practicable. A vessel of less than 10

meters in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within the marked channel;

(b) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel in the navigable channel;

(c) A vessel shall not cross a navigable channel if such crossing impedes the passage of vessel proceeding upstream or downstream along the navigable channel;

(d) In a narrow channel when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signals prescribed in regulation 34 (b). The vessel to be overtaken shall if in agreement, sound appropriate signals prescribed in regulation 34 (b) and take action to permit safe passing. If in doubt she may sound the signal prescribed in regulation 34 (c). This regulation does not relieve the overtaking vessel of her obligation under regulation 13;

(e) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in regulation 34 (d); and

(f) Every vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.

10. **Single lane traffic** - When single lane traffic is in force, vessels shall join the lane only when the traffic signal permits to do so. While in the lane, the vessels shall proceed with maximum permissible speed and clear the channel as quickly as possible. Vessels shall not stop or anchor in a traffic lane and shall exercise caution while joining or leaving the single lane to avoid collision with waiting vessels at anchor.

## **PART- II**

### **Conduct of vessels in sight of one another**

11. **Application** - Regulations in this Part shall apply to vessels in sight of one another.

12. **Sailing vessels** - (a) when two sailing vessels are approaching one another so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows:

(i) In a non tidal river when one vessel is proceeding upstream and the other vessel proceeding downstream the vessel proceeding upstream shall keep out of the way of the other;



- (ii) When both are proceeding, upstream or downstream and in a tidal lagoon the vessel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward.
  - (iii) A vessel which is running free shall keep out of the way of a vessel which is close-hauled; and
  - (iv) A vessel which is close-hauled on the port tack shall keep out of the way of a vessel which is close-hauled on the starboard tack.
  - (b) For the purposes of the regulation, "upstream" shall be deemed the direction against current and downstream the direction with the current. "Wind ward" side shall be deemed to be the side opposite to that of which the main sail or the largest fore and aft sail is carried.
13. **Overtaking** - (a) Notwithstanding anything contained in the regulations of this Part any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken;
- (b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam. That is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the sternlight / towing light of that vessel but neither of her sidelights; and
- (c) Any subsequent alteration of bearing between two vessels shall not make the over taking vessel a crossing vessel within the meaning of these rules or relieve her the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally passed and clear.
14. **Head-on situation** - When two mechanically propelled vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other.
15. **Crossing situation** - When two mechanically propelled vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit avoid crossing ahead of the other vessel.
16. **Action by give-way vessel** - Every vessel which is directed by these regulations to keep out of the way of another vessel shall, so far as possible take early and substantial action to keep well clear.
17. **Action by stand-on vessel** - (a) (i) Where by any of these regulations one of two vessels is to keep out of the way, the other shall keep her course and speed. (ii) The later vessel may however take action to avoid collision by her manoeuvre alone, as soon as it becomes apparent to her



that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these regulations;

(b) When from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision;

(c) A vessel which takes action in a crossing situation in accordance with sub paragraph a(ii) of this regulation to avoid collision with another vessel, shall if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side; and

(d) This regulation does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way.

**18. Responsibilities of (between) vessels:-**

Except where regulations 9, and 13 otherwise require:-

(a) A mechanically propelled vessel underway shall keep out of the way of:

- (i) A vessel not under command;
- (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre;
- (iii) A vessel engaged in fishing;
- (iv) A sailing vessel, vessel under oars or country boat; and
- (v) A vessel proceeding down stream by a vessel proceeding upstream, if the prevailing circumstances permit.

(b) A sailing vessel under way shall keep out of the way of:-

- (i) A vessel not under command;
- (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre; and
- (iii) A vessel engaged in fishing.

(c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep out of the way of:-

- (i) A vessel not under command; and
- (ii) A vessel restricted in her ability to manoeuvre.

**PART-III**

**Conduct of vessels in restricted visibility**

**19. Application -** (a) This regulation applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility;

- (b) Every vessel shall make appropriate sound signals in accordance with regulation 34 and exhibit lights while navigating in restricted visibility.
- (c) Every vessel shall proceed at a safe speed adopted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A mechanically propelled vessel shall have her engines ready for immediate manouvre.
- (d) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the regulation of this Part.
- (e) Except where it has been determined that risk of collision does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her beam, shall reduce her speed, she shall if necessary take all her way off and in any event navigable with extreme caution until danger of collision is over.

### CHAPTER – III

#### LIGHTS AND SHAPES

20. **Application** - (a) Regulations in this Chapter shall be complied with in all weathers.
- (b) The regulations concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such, lights as cannot be mistaken for the lights specified in these rules or do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out.
- (c) The lights prescribed by these regulations shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary.
- (d) The regulations concerning shapes shall be complied with by day.
- (e) The lights and shapes unless otherwise specified in these regulations shall comply with the positioning and technical details as per the provisions of Annex-I to International Regulations for prevention of collision at sea (1972).
21. **Definitions** -
- (a) "Masthead light" means a white light placed over the fore and aft centerline of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel. This light shall be placed as far as practicable at height above the hull of not less



than 3 meters for vessels of 20 meters or more in length and 2 meters for vessels of less than 20 meters in length.

(b) "Sidelights" means a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 meters in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centerline of the vessel. Side lights shall be placed not less than 1 meter below the mast head light.

(c) "Stern light" means a white light placed as nearly as practicable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from light aft on each side of the vessel.

(d) "Towing light" means a yellow light having the same characters as the "stern light" defined in paragraph (c) of this regulation.

(e) "All-round light" means a light showing an unbroken light over an arc of the horizon of 360 degrees.

(f) "Flashing light" means a light flashing at regular intervals.

**22. Visibility of lights** - The lights prescribed in these regulations shall be visible at the following minimum ranges:-

(a) A vessel of 20 meters or more in length, mast head light, 3 miles, side light 2 miles stern lights 2 miles, towing light 2 miles, allround light 1 mile.

(b) A vessel less than 20 meters in length, a mast head light 2 miles and side light one mile. Stern light 1 mile, towing light 1 mile, white, red, green or yellow allround light 1 mile.

#### **Lights to be exhibited by vessels**

**23. Lights to be exhibited by mechanically propelled vessel under-way** -

(a) A mechanically propelled vessel under-way shall exhibit:

- (i) A mast head light forward.
- (ii) Side lights
- (iii) A stern light.

(b) A mechanically propelled vessel of less than 10 meters in length, in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) may exhibit an allround white light, and shall if practicable also exhibit side lights or a combined lantern.



**24. Lights to be exhibited by towing & pushing vessels - (a) A mechanically propelled vessel when towing or pushing shall exhibit:-**

(i) Two mast head lights forward in a vertical line when the length of the tow exceeds 200 meters; Three such light in a vertical line. These lights will be in-lieu of light prescribed in regulation 23 (a) (i). The lights shall be placed not less than 1 meter apart and the lowest light placed at a height not less than 2 meters above the hull.

(ii) Side lights.

(iii) A stern light.

(iv) A towing light in a vertical line above the stern light.

(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are connected in a composite unit, they shall be regarded as a mechanically propelled vessel and exhibit the lights prescribed in regulation-23.

(c) A vessel or object being towed shall exhibit:-

(i) Side lights.

(ii) A stern light.

Provided that any number of vessels being towed or pushed in a group shall be lighted as one vessel.

(d) A vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, side lights.

(e) A vessel being towed aside shall exhibit a stern light at the forward end side lights.

(f) Where from any sufficient cause, it is impracticable for vessel or object being towed to exhibit the lights prescribed in this regulation, all possible measures shall be taken to light the vessel or the object towed at least to indicate the presence of unlighted vessel or object.

**25. Lights to be exhibited by sailing vessel and vessels under oars - (a) A sailing vessel shall exhibit**

(i) Side lights.

(ii) A stern light.

(b) In a sailing vessel of less than 20 meters in length the lights prescribed in paragraph (a) may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can be seen.

(c) A sailing vessel underway may in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this regulation, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen two around lights in a vertical line, the upper being red and lower be green.

(d) A sailing vessel less than 10 meters in length, a vessel under oars may exhibit lights prescribed in this regulation, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

**26. Lights to be exhibited by fishing vessels** - (a) A vessel engaged in fishing shall exhibit:-

(i) Two around lights in a vertical line the upper being red and the lower white and during day a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line or a basket.

(ii) When making way through the water in addition to the lights prescribed in (i) side lights, and a stern light.

(b) A vessel less than 10 m in length, a vessel under oars may exhibit a lantern and shall have ready at hand an electric torch which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

**27. Lights to be exhibited by vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre** - (a) A vessel not under command shall exhibit

(i) Two around red lights in a vertical line where they can best be seen by night

(ii) Two balls or similar shapes in a vertical line by day.

(iii) When making way through the water, side lights and a stern light in addition to the lights prescribed in (i).

(b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre shall exhibit:-

(i) Three around lights in a vertical line, the highest and lowest of these shall be red and the middle light shall be white.

(ii) Three shapes in a vertical line, the highest and lowest shapes shall be balls and the middle one a diamond.

(iii) When making way through the water, mast head lights, side lights and stern light in addition to the lights prescribed in (i).

(iv) When at anchor, in addition to the lights prescribed in (i) and (ii) above lights and shapes prescribed in regulation 30 for anchored vessels shall also be exhibited.

**28. Lights to be exhibited by vessel engaged in dredging -** A vessel engaged in dredging, in addition to the lights in 27 (b) shall exhibit-

Two allround red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which obstruction exists.

**29. Lights to be exhibited by pilot vessel -** A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit-

(i) At or near the mast head two allround lights in vertical line the upper white and the lower red.

(ii) When under way, in addition side lights and stern light.

**30. Lights to be exhibited by anchored vessels and vessels aground - (a)** A vessel at an anchor shall exhibit -

(i) In the fore part, an allround white light or one ball by day.

(ii) At or near the stern and at a lower level than the light in (i) an allround white light.

(b) A vessel of less than 20 meters in length may exhibit one allround white light, where it can best be seen.

(c) A vessel aground shall exhibit in addition to the lights prescribed in paragraph (a) or (b), where they can best be seen -

(i) Two all-round red lights in a vertical line.

(ii) Three balls in a vertical line by day.

(d) A vessel of less than 10 meters in length shall have ready at hand and electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to warn the approaching vessels.

**31. Lights to be exhibited by hydrofoils & mechanized country craft -**

Where it is impracticable for a mechanized country craft or a hydrofoil to exhibit lights and shapes of the characteristics or in positions prescribed in the Regulations she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.

#### CHAPTER - IV

#### SOUND AND LIGHT SIGNALS

**32. Definition - (a)** The word "whistle" means any sound signaling appliances capable to producing the prescribed blast.

(b) The term "short blast" means a blast of about one second duration.



(c) The term "prolonged blast" means a blast of about 4 to 6 seconds duration.

(d) The sound signal appliances unless otherwise specified in the regulations shall comply with the technical requirements as per the provisions of Annexure-III of the International Regulations for prevention of collision at sea (1972).

33. **Equipment for sound signals** - A vessel of 20 meters or more in length shall be provided with a whistle and a bell and a vessel of 100 meters or more in length, in addition shall be provided with a gong.

34. **Manoeuvring and warning signals** - (a) Single vessel when vessels are in-sight of one another a mechanically propelled vessel underway, when manoeuvring as authorized or required by these regulations, shall indicate her intentions by the following signals on her whistle

- (i) One short blast to mean "I am altering my course to starboard".
- (ii) Two short blasts to mean, "I am altering my course to port".
- (iii) Three short blast to mean "I am operating stern propulsion".

(b) Overtaking vessels:-

- (i) Two prolonged blast followed by one short blasts to mean "I intended to over take you on your starboard side".
- (ii) Two prolonged blasts followed by two short blasts to mean "I intended to over take you on your port side"

A vessel being overtaken shall indicate her agreement by the following signals on her whistle; one prolonged, one short, one prolonged, one short blast, in that order, if in doubt she may sound signals prescribed in paragraph (c).

(c) When in doubt - When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least 5 short and rapid blasts on the whistle, the signal may be supplemented by a light signal of at least 5 short and rapid flashes.

(d) At bends - A vessel nearing bend or an area of a channel where other vessels may be obscured, shall sound one prolonged blast, such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel.

35. **Sound signals in restricted visibility** - In or near an area of restricted visibility, where by day or night, signals prescribed in this regulation shall be used as follows:-

(a) A mechanically propelled vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged blast.

(b) A mechanically propelled vessel underway but stopped and making no way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes. Two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.

(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a vessel constrained by her draught, vessel engaged in towing, fishing or pushing another vessel, shall at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession namely one prolonged followed by two short blasts.

(d) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succession namely one short one prolonged and one short blast to give warning on her position, and possibility of collision to any approaching vessel. A vessel aground shall give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell.

(e) A vessel of less than 10 meters in length shall not be obliged to give the above mentioned signals but shall make some other effective sound signal at intervals of not more than 2 minutes.

36. **Distress signals** - When a vessel is in distress and requires assistance from other vessels or from shore, the following shall be the signals to be used or displayed by her either together or separately.

- (a) A continuous sounding of any sound signal apparatus.
- (b) A flag or a light waved in a circle to draw attention.
- (c) Flares on the deck.
- (d) "May day" transmitted by radio telephony.
- (e) International code of signal N.C. hoisted on the vessel.



**CHAPTER - V****EXEMPTIONS**

37. Any vessel (or class of vessel) provided that she complies with the requirement of the Inland Vessels Act, 1917, the keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these regulations may be exempted from compliance therewith of the following provisions until 2 years after the date of entry into force of these regulations.
- (a) The installation of lights with colour specifications and intensity as prescribed in regulation 20 (e).
  - (b) Repositioning of masthead lights and side lights on vessels resulting from prescriptions of regulations 21.
  - (c) The installation of lights with ranges prescribed in regulation 22.

38. **Exemption**

Exemption "in vessels or class of vessels provided that she complies with the requirement of the Inland Vessels Act, 1917, the keel of which is at corresponding stage of construction before the entry into force of these regulations may be exempted from compliance therewith of the provision for carriage of life boats until two years after the date of entry into force of these regulations provided that adequate life raft in lieu are provided on board.

- (a) Fishing boats;
- (b) Cargo vessels

**CHAPTER - VI****SUSPENSION, CANCELLATION AND APPEAL**

39. **Power to suspend and cancel endorsement on certificate of survey -**
- (1) The Competent Officer reserves the right to suspend forthwith the endorsement on certificate of survey of the vessel for a period not exceeding fifteen days in the case of contravention of any of the regulation mentioned herein before at first instance.
  - (2) In the case of repeated contravention the Competent Officer shall have the power to cancel the endorsement on certificate of survey of the vessel forthwith.



40. **Appeals** - (1) Any person aggrieved by an order of the Competent Officer issued under regulation 3, may within ten days from the date on which he receives such order, appeal against it to the officer so designated.

(2) The officer so designated shall cause notice of every such appeal to be given to the Competent Officer in such manner, as may be prescribed and after giving an opportunity to the Competent Officer and to the appellant to be heard, shall pass such order thereon as deems fit and his decision shall be final.

## CHAPTER - VII

### PENALTIES AND LEGAL PROCEEDINGS

41. **Penalty for contravening regulations of the Road for National Waterways** - If any person contravenes any of the regulations of the Road as mentioned hereinbefore, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees for each contravention.

42. **Application of the provisions of Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)** - Notwithstanding anything mentioned above, the provisions of Chapter VII of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) shall also apply mutandis mutandis, to the mechanically propelled vessels making voyage on National Waterways as they apply to mechanically propelled vessels on any inland water.

S. S. PANDIAN, Secy.

[ADVT. III/IV/306/04-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2004

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राष्ट्रीय जलमार्ग पर नौपरिवहन और पोत परिवहन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग, नौपरिवहन और पोत परिवहन की सुरक्षा विनियम, 2002 है
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. इन विनियमों का विस्तार सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर है।